न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) : 02/2018
दायर दिनांकः 20.06.2018
निर्णय दिनांक 27.02.2026

—: अनवान :—

समस्त ग्रामवासी उसरवास, जरिये हीरालाल गुर्जर पिता परथा जी गुर्जर निवासी—उसरवास पूर्व सरपंच भैसाकमेड़, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती राधी पत्नी गेबा जी सुथार उम्र 75 वर्ष, निवासी—उसरवास, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित :—

1. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दिनेश खटीक, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी उदयपुर, जिला उदयपुर के आदेश दिनांक 24.11.77 के अनुसार राजकीय भूमि मोजा उसरवास, तहसील नाथद्वारा में स्थित बिलानाम खसरा नम्बर 4454 रकबा 4—00 चार बीघा लगानी 2.80 अतिक्रमी श्री राधी पति गेबा जी सुथार निवासी उसरवास के नाम नियमन कर भू अभिलेख में गैर खातेदारी हक से अंकित करने की स्वीकृति करने से नये आराजी नम्बर 5982/1454 रकबा 4—00 बीघा भूमि आवंटन की जाकर विपक्षी संख्या 01 के नाम पर गैर खातेदार

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के रूप में अंकित की गई। आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक आराजी नम्बर 5982/4454 रकबा 04 बीघा किस्म बारानी 3 पर कभी कब्जा नहीं रहा है न ही विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि पर कभी कोई काश्त ही की है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (3) के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 01 आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भू–भाग को जोतना था एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में जोतना था, किन्तु आवंटी (वि.स. 1) ने प्रथम वर्ष एवं उसके बाद द्वितीय वर्ष में भी कोई काश्त नहीं की है तथा उसके पश्चात्वर्ती वर्षों में भी कोई काश्त नहीं की है तथा भूमि को आबाद भी नहीं की है। विपक्षी संख्या 01 का भूमि आवंटन के पश्चात् आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा, काश्त नहीं रहां अर्थात् भूमि पडत पडी हुई है तथा वि.स. 01 द्वारा उक्त भूमि पर कभी कोई कोट, बाड इत्यादी निर्मित नही करने से भूमि खाली पडी हुई है। उक्त भूमि ग्राम के सार्वजनिक महत्व के तालाब नामी पाचेला का तालाब की सरहद पर स्थित है तथा खाली (Open) पडी होने से वर्तमान में उक्त भूमि पशु विचरण के लिये उपयोग में आ रहीं है। आवंटित भूमि पर वि.स. 01 का कब्जा, काश्त नहीं होने एवं वि. स. 01 द्वारा आवंटन शर्तों की कोई पालना नहीं करने से उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। समस्त ग्रामवासी उसरवास द्वारा ग्राम पंचायत भैसाकमेड मुख्यालय पर आयोजित शिविर न्याय आपके द्वार में शिविर प्रभारी श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नाथद्वारा को भी उक्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 5982/4454 रकबा 04 बीघा जो विपक्षी संख्या 01 के गैर खातेदारी हक में दर्ज है, का आवंटन निरस्त कराने बाबत् प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी जी द्वारा प0ह0 उसरवास को निर्देश दिये कि जॉच करे यदि आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई हो तो आवंटन निरस्तीकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में अंकित आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है एवं मौके पर भूमि पडत (खाली) है, इसलिये आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य होने से उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि पुनः राजस्थान राज्य के नाम पर अंकित कराने की कृपा करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश खटीक ने उपस्थिति दी। नियत पेशी पर अनुपरस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 03.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार करते हुए धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी उदयपुर, जिला उदयपुर के आदेश दिनांक 24.11.77 के अनुसार राजकीय भूमि मोजा उसरवास, तहसील नाथद्वारा में स्थित बिलानाम खसरा नम्बर 4454 रकबा 4–00 चार बीघा लगानी 2.80 अतिक्रमी श्री राधी पति गेबा जी सुथार निवासी उसरवास के नाम नियमन कर भू अभिलेख में गैर खातेदारी हक से अंकित करने की स्वीकृति करने से नये आराजी नम्बर 5982/1454 रकबा 4–00 बीघा भूमि आवंटन की जाकर विपक्षी संख्या 01 के नाम पर गैर खातेदार के रूप में अंकित की गई। आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक आराजी नम्बर 5982/4454 रकबा 04 बीघा किस्म बारानी 3 पर कभी कब्जा नहीं रहा है न ही विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि पर कभी कोई काश्त ही की है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (3) के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 01 आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भू–भाग को जोतना था एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में जोतना था, किन्तु आवंटी (वि.स. 1) ने प्रथम वर्ष एवं उसके बाद द्वितीय वर्ष में भी कोई काश्त नहीं की है तथा उसके पश्चात्वर्ती वर्षों में भी कोई काश्त नहीं की है तथा भूमि को आबाद भी नहीं की है। विपक्षी संख्या 01 का भूमि आवंटन के पश्चात् आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा, काश्त नहीं रहां अर्थात् भूमि पडत पडी हुई है तथा वि.स. 01 द्वारा उक्त भूमि पर कभी कोई कोट, बाड इत्यादी निर्मित नही करने से भूमि खाली पडी हुई है। उक्त भूमि ग्राम के सार्वजनिक महत्व के तालाब नामी पाचेला का तालाब की सरहद पर स्थित है तथा खाली (Open) पडी होने से वर्तमान में उक्त भूमि पशु विचरण के लिये उपयोग में आ रहीं है। आवंटित भूमि पर वि.स. 01 का कब्जा, काश्त नहीं होने एवं वि. स. 01 द्वारा आवंटन शर्तों की कोई पालना नहीं करने से उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में अंकित आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है इसलिये आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य होने से उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि पुनः राजस्थान राज्य के नाम पर अंकित कराने की कृपा करें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनो का समर्थन करते हुए आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने से आवंटन निरस्त किये जाने हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष कि अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हुआ है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त आवंटित भूमि को गैर काबिल काश्त से काबिल काश्त नही बनाया गया तथा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 01 के लगातार अनुपस्थित रहने से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त आंवटित भूमि आराजी संख्या 5982/4454 पर आंवटी राधा पत्नि गेबा जी सुथार का कब्जा नहीं होने और वर्तमान में उक्त भूमि पशु विचरण के लिये उपयोग में आने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र 14(4) विधि सम्मत व पोषणीय होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुर, जिला उदयपुर द्वारा श्रीमती राधी पति गेबा जी सुथार को आराजी संख्या 5982/4454 में आवंटित रकबा 04 बीघा भूमि के आदेश दिनांक 24.11.1977 को निरस्त किया जाता हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 27.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)